<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी	:	आशीष दाधीच, RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग) लिंक अधिकारी
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	:	1139/2026
एफ.आई.आर. संख्या	-	78/2026
अपराध अंतर्गत धारा	-	115(2), 126(2), 110, 117(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता
पुलिस थाना	-	जवाहर नगर, कोटा शहर

नरोत्तम पुत्र रामदयाल, निवासी ग्राम चिकली, तहसील खानपुर, जिला कोटा ग्रामीण, (राजस्थान)

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

-अप्रार्थी

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता</u>

उपस्थितिः-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री अंकुर जैन, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से,
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश दिनांकः 29.05.2026

प्रार्थी नरोत्तम की ओर से यह **अग्रिम जमानत** प्रार्थना-पत्र उसके अधिवक्ता द्वारा पेश किया। नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

02. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अंतर्गत जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित अनुसार कोई भी आपराधिक कृत्य घटित नहीं किया है और न ही प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा प्रकरण के मजरूब को किसी प्रकार की कोई उपहति कारित की गई है और न ही मजरूब के शरीर पर किसी प्रकार की कोई मारपीट इत्यादि की चोटें कारित है, क्योंकि प्रार्थी अभियुक्त वक्त घटना उक्त वारदात में शामिल ही नहीं था। इस कारण प्रार्थी अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित भी नहीं किया गया है मात्र सहअभियुक्तगण के कथनों के आधार पर इस प्रकरण में

Authenticated Document

आलिप्त किया जा रहा है। प्रार्थी अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की पूर्ण संभावना है एवं प्रार्थी अभियुक्त के उक्त प्रकरण के तहत अब किसी प्रकार का कोई गहन अनुंसधान अथवा रिकवरी आदि नहीं की जानी है और न ही किसी प्रकार से कोई बरामदगी की जानी है। प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व का कोई भी आपराधिक आचरण नहीं है। प्रकरण के दीगर सह-अभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, तदनुसार प्रार्थी अभियुक्त का मामला दीगर सह-अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त झालावाड़ जिले का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने एवं गवाहान को टेम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा नहीं है। उन्होंने प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात् विचारण में समय लगना बताते हुए प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से न्यायिक दृष्टांत Stateep. By the C.B.I. Vs Anil Sharma Criminal Aooesl N0.811@1997 Decided 03.09.1999 S.C. And Shri Gurbaksh Singh Sibbia And others Vs State of Punjab, Sarbajut Singh And Ano. Vs State of Punfab S.C.Diceded on 09-04-1980 पेश किये जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

03. विद्वान लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.04.2026 को परिवादी संजीव शंकर झा द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहर नगर, कोटा के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 07.04.2026 शाम 07.45 की बात है वह एक्टिवा लेकर घर की तरफ जा रहा था। शीला चौधरी रोड पर रामाकृष्ण हॉस्पिटल के आगे तीन आदमी मोटरसाइकिल लेकर उसकी एक्टिवा के आगे रोककर उसके साथ सरिया/पाइप से उसके हाथों व पैरों पर मारा जिससे उसके चोटें आई। वह उन व्यक्तियों के नाम पता नहीं जानता क्योंकि उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उसके बाद थाने की ट्रेकर आई जो कि वहां गश्त कर रही थी वह उसे लेकर थाने आई फिर उसने यहां आकर पूरे हालात बताए..... .इत्यादि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2026 संस्थित होकर अन्वेषणाधीन है।

05. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा S.B. Criminal Misc.Bail Application No.13513/2020 शीर्षक Jugal Vs State of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 की पालना में अनुसंधान पत्रावली का

Authenticated Document

अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एक प्रकरण संस्थित हुआ है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्रम संख्या	प्रकरण संख्या	धारा	पुलिस थाना	सी.एस. संख्या	विवरण
01.	328/2023	341, 323, 34 भा.दं.सं.	खानपुर	209/2023	-

06. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त एक प्रकरण संस्थित हुआ है, जिसकी वर्तमान स्थिति को अनुसंधान पत्रावली पर दर्शित नहीं किया गया है। अनुसंधान पत्रावली पर प्रार्थी अभियुक्त की पूर्व की कोई दोषसिद्धि उपलब्ध नहीं है। अनुसंधान पत्रावली पर आहत संजीव शंकर झा का चोट प्रतिवेदन उपलब्ध है, जिसके अनुसार उसके कुल पांच चोटें आना बताया गया है जिनमें चोट संख्या-01 तीन खरोंच 3X1 cm, 2X1 cm, 1X1 cm दायें घुटने पर लालिमा लिये हुये, चोट संख्या-02 नीलगू 5X2 cm बायें पैर पर ऊपर की ओर लालिमा लिये हुये, चोट संख्या-03 खरोंच 1X0.5 cm दायें अंगूठे पर, चोट संख्या-04 नीलगू 4X2 cm छाती पर बायीं ओर नीचे की तरफ एवं चोट संख्या-05 दर्द की शिकायत दायीं अग्रभुजा पर बताई गई हैं। समस्त चोटें कुन्दाले से कारित होकर चोट संख्या-02 व 03 साधारण प्रकृति की पाई गई हैं एवं चोट संख्या-01, 04 व 05 के लिए एक्स-रे की राय देते हुये राय रिजर्व रखी गई तथा बाद एक्स-रे चोट संख्या-01 गंभीर प्रकृति की एवं चोट संख्या-04 व 05 साधारण प्रकृति की बताया गया है। अनुसंधान पत्रावली पर प्रकरण के सहअभियुक्तगण को परिवादी के साथ मारपीट करने के लिये उकसाने का तथ्य प्रकट हुआ है। अनुसंधान पत्रावली पर यह तथ्य भी प्रक्रट हुये हैं कि परिवादी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त कर्मचारी है जो बैंक में सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त हाउस कीपिंग कर्मचारी, सुरक्षा प्रहरियों एवं केयर टेकर कर्मचारियों के हितार्थ कार्यरत विधिसम्मत पंजीकृत यूनियन "ऑल इंडिया बैंक स्टाफ" का महासचिव है। अनुसंधान पत्रावली पर यह तथ्य प्रकट हुये हैं कि परिवादी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एटीएम पर केयर टेकर नियुक्त करने वाली सेवा प्रदाता एजेंसी सेंट्रल इनवेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा ठेका कर्मियों को मासिक न्यूनतम वेतन, बोनस, ईएसआई, पीएफ इत्यादि का कानूनी रूप से भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में कंपनी एवं बैंक के खिलाफ सहायक श्रमायुक्त केन्द्रीय कोटा के समक्ष परिवादी की ओर से केस भी दायर किया जाना बताया गया है। परिवादी पक्ष के अनुसार उक्त केस में कंपनी एवं बैंक अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास

Authenticated Document

कर रहे हैं। एजेंसी के अधिकारीगण द्वारा उसे एवं उसके सहयोगियों से दावा प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को इस संबंध में संपर्क कर चुके थे तथा केस वापस लेने के लिये प्रलोभन दिया जा रहा था। अनुसंधान पत्रावली पर परिवादी की ओर से यह तथ्य आये हैं कि प्रार्थी नरोत्तम के जरिये एजेंसी के अधिकारियों द्वारा यह कार्य करवाया गया है। पत्रावली पर यह भी आरोप है कि वेतन-भत्तों में किये जा रहे भुगतान में भारी अनियमितताएं थी जिसकी राशि करोडों में बन रही थी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त को मुख्य साजिशकर्ता होना बताया जा रहा है तथा हस्तगत प्रार्थी के द्वारा ही अन्य सहअभियुक्तगण को परिवादी के साथ मारपीट करने के लिये उकसाने के तथ्य अनुसंधान पत्रावली पर प्रकट हुए हैं। अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर प्रथमदृष्टया यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया हो। प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 110, 117(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का गंभीर आरोप है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, दौराने अनुसंधान संकलित साक्ष्य सामग्री तथा प्रथम दृष्टया प्रार्थी की अपराध में लिप्तता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित नहीं पाता हूँ।

07. निष्कर्षतः प्रार्थी नरोत्तम की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(आशीष दाधीच)
सेशन न्यायाधीश, कोटा
लिंक पीठासीन अधिकारी

08. आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष दाधीच)
सेशन न्यायाधीश, कोटा
लिंक पीठासीन अधिकारी

BANWARI LAL GUPTA
Digitally signed by BANWARI LAL GUPTA
Date: 2026.05.30 11:16:01 +0530

Authenticated Document